न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 82 / 18 | तारीख दायर 07–05–2018 | तारीख फैसला 25/04/2022

उनवान

01. गंगादीन पुत्र श्री भोलूराम उम्र करीब 59 साल जाति अहीर निवासी ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

——:: वादी

बनाम

01. झूंथर पुत्र श्री भोलूराम जाति अहीर निवासी ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) हाल बन्दी जिला कारागृह अलवर (राज0)
02. मंगीलाल पुत्र श्री भोलूराम जाति अहीर निवासी ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर हाल निवासी म0नं0 586 शक्तिनगर साहबजोहड़ा अलवर
03. कृष्णा पत्नी श्री सत्यवान
04. धनकौर पत्नी परसराम
05. सत्यवान
06. परसराम पुत्रान् कुडियाराम
07. दयाराम पुत्र श्री लक्ष्मण जाति अहीर निवासी ईशरोदा, तहसील तिजारा जिला अलवर
08. रामरती पत्नी श्री लालसिंह जाति अहीर निवासी रामपुरा तहसील मानेसर, जिला गुडगावां (हरियाना)
09. राज्य सरकार जरिये पैरोकार भूमिधारी तहसीलदार तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)

———:: प्रतिवादीगण

दावा तकासमा मय हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादी ने यह दावा तकासमा मय हुक्मईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व दावा प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1848/0.10, 1849/0.20, 1850/0.42, 1966/1.05, 1967/0.29 है0 किता 5 रकबा 2.06 है0, 2140/1.43 है0 वाके ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) में स्थित है। विवादित आराजी मिन वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस पर मिन वादी व प्रतिवादीगण शामलात में काबिज–काश्त है। विवादित आराजी में मिन वादी व प्रतिवादीगण का जमाबन्दी अनुसार हिस्सा निहित है। मिन वादी मुताबिक जमाबन्दी अपने हिस्से पर काबिज व दाखिल है। मिन वादी एवं प्रतिवादीगण ने आज तक कोई लिखित एवं मौखिक बंटवारा नहीं किया है तथा विवादित आराजी पर काबिज एवं दाखिल चला आ रहा है मिन वादी का मौके पर वास्तविक कब्जा है व राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अमल दरामद है। मिन वादी एवं प्रतिवादीगण अर्सा दराज से शामलात में मौके पर विवादित आराजी पर काबिज व दाखिल है। वादी एवं प्रतिवादीगण का आज तक लिखित रूप में विवादित आराजी का कोई बंटवारा नहीं हुआ है राजस्व रिकार्ड में शामलात में ही काबिज एवं दाखिल चले आ रहे है। विवादित आराजी के प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सह–खातेदार का हिस्सा है। मिन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस आज तक कोई तकासमा नहीं हुआ है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन तलब किया जाकर जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। वादी व प्रतिवादीगण 1, 2 ने उपस्थित होकर अपना राजीनामा पेश किया गया। शेष प्रतिवादीगण तामील के उपरान्त अनुपस्थित रहे। अतः उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

उपखण्ड अधिकारी

दी संख्या 9 फोरमल पक्षकार है कोई राजहित निहित नहीं है। अतः जवाब सरकार बन्द किया गया।
अत उभयपक्षकारान ने वाद को डिकी किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण में दिनांक 05–10–2020 को प्रारम्भिक डिकी जारी कर तहसीलदार तिजारा को मौका कमिश्नर त किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवारा स्कीम तैयार कर रिपोर्ट कुर्रे तलब की गई।

चूंकि तहसीलदार तिजारा ने अपने पत्र कमांक: भू.अ./2022/317 दिनांक 10–02–2022 के द्वारा प्रकरण रे रिपोर्ट प्रेषित कर दी थी। प्रार्थी अधिवक्ता ने मुताबिक कुर्रे रिपोर्ट फाईनल डिकी किये जाने हेतु निवेदन । कुर्रे रिपोर्ट का अवलोकन किया। दावा फाईनल डिकी किया जाना उचित है।

अतः दावा वादीगण फाईनल डिकी किया जाता है निम्नानुसार हाल आराजी खसरा नम्बर 1848/0.10, /0.20, 1850/0.42, 1966/1.05, 1967/0.29 है0 किता 5 रकबा 2.06 है0, 2140/1.43 है0 वाके ग्राम दा तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) को फरीकैन के अनुसार खाता विभाजन के आदेश दिये जाते

स.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1.	गंगादीन पुत्र भोलू जाति अहीर सा. देह खातेदार	1850 1967 1966/1 किता 3	0.36 0.29 0.38 1.03	बा.–3 बा.–3 बा.–2
2.	मांगेलाल पुत्र भोलू जाति अहीर सा. देह खातेदार राहिन पी. एन.बी. तिजारा	1848 1849 1850/1 1966 किता 4	0.10 0.20 0.06 0.67 1.03	बा.–3 बा.–3 बा.–3 बा.–2
03.	झूथर पुत्र भोलूराम 1/6 हि0, कृष्णा पत्नी सत्यवान 1/12 हि0 दयाराम पुत्र लक्ष्मण 1/4 हि0, धनकौर पत्नी परसराम 1/12 हि0 परसराम पुत्र कुडियाराम 1/12 हि0 सत्यवान पुत्र कुडियाराम 1/12 हि0 अहीर सा. देह रामरती पत्नी लालसिंह 1/4 हि. अहीर सा. रामपुरा तह. मानेसर जिला गुडगावां खातेदार	2140	1.43	बा.–3

तकसीम शुद्वा नक्शा फाईनल डिकी का जुज होगा। राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल किया जावें। ी डिकी जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 82/18 | तारीख दायर 07-05-2018 | तारीख फैसला

उनवान

01. गंगादीन पुत्र श्री भोलूराम उम्र करीब 59 साल जाति अहीर निवासी ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

———:: वादी

बनाम

01. झूंथर पुत्र श्री भोलूराम जाति अहीर निवासी ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) हाल बन्दी जिला कारागृह अलवर (राज0)
02. मंगीलाल पुत्र श्री भोलूराम जाति अहीर निवासी ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर हाल निवासी म0नं0 586 शक्तिनगर साहबजोहडा अलवर
03. कृष्णा पत्नी श्री सत्यवान
04. धनकौर पत्नी परसराम
05. सत्यवान
06. परसराम पुत्रान् कुडियाराम
07. दयाराम पुत्र श्री लक्ष्मण जाति अहीर निवासी ईशरोदा, तहसील तिजारा जिला अलवर
08. रामरती पत्नी श्री लालसिंह जाति अहीर निवासी रामपुरा तहसील मानेसर, जिला गुडगावां (हरियाना)
09. राज्य सरकार जरिये पैरोकार भूमिधारी तहसीलदार तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)

———:: प्रतिवादीगण

दावा तकासमा मय हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: पर्चा निर्णय ::–

हाल आराजी खसरा नम्बर 1848/0.10, 1849/0.20, 1850/0.42, 1966/1.05, 1967/0.29 है0 किता 5 रकबा 2.06 है0, 2140/1.43 है0 वाके ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) को फरीकैन के अनुसार खाता विभाजन के आदेश दिये जाते है।

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
01.	गंगादीन पुत्र भोलू जाति अहीर सा. देह खातेदार	1850	0.36	बा.–3
		1967	0.29	बा.–3
		1966/1	0.38	बा.–2
		किता 3	1.03	
02.	मांगेलाल पुत्र भोलू जाति अहीर सा. देह खातेदार राहिन पी. एन.बी. तिजारा	1848	0.10	बा.–3
		1849	0.20	बा.–3
		1850/1	0.06	बा.–3
		1966	0.67	बा.–2
		किता 4	1.03	

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज0

03	भूथर पुत्र भोलूराम 1/6 हि0, कृष्णा पत्नी सत्यवान 1/12 हि0 दयाराम पुत्र लक्ष्मण 1/4 हि0, धनकौर पत्नी परसराम 1/12 हि0 परसराम पुत्र कुडियाराम 1/12 हि0 सत्यवान पुत्र कुडियाराम 1/12 हि0 अहीर सा. देह रामरती पत्नी लालसिंह 1/4 हि. अहीर सा. रामपुरा तह. मानेसर जिला गुड़गावां खातेदार	2140	1.43	बा.–3

तकसीम शुद्वा नक्शा फाईनल डिकी का जुज होगा। राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल किया जावें। डिकी जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज०